Title: Requested to set up a bench of Allahabad High Court at Agra.

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद) : सभापति महोदय उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद उच्च न्यायालय में मुकदमों का अत्यधिक बोझ है। जजों की कमी है और वाद कार्यों की परेशानी बढ़ रही है। इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में लगभग साढ़े आठ लाख मुकदमे लंबित हैं। इन विवादों का निस्तारण करने के लिए शताब्दियां लग जाएंगी। इस बोझ के चलते 14 मार्च, 1981 को उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत सरकार से अनुरोध किया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच हो। कहां स्थापित हो, इसके लिए भारत सरकार एक कमीशन का गठन करे। 4 सितम्बर, 1981 को भारत सरकार ने जस्टिस जसवंत सिंह की देख-रेख में जसवंत सिंह कमीशन गठित किया और सभी संभावनाओं का पता लगाने के बाद जसवंत सिंह कमीशन ने, अपनी रिपोर्ट दी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाई कोर्ट की बैंच के लिए आगरा सबसे उपयुक्त स्थान है।

कमीशन ने कहा :

> "Taking into consideration the totality of the conditions and circumstances peculiar to Agra, we find ourselves impelled to agree with the aforesaid views of the eminent judges and others that Agra would be a suitable place for the location of the Bench. "

इतना समय व्यतीत हो जाने के बावजूद भी 1986 में इस सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखी गई है। न सिर्फ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, बल्कि हिन्दुस्तान के विभिन्न प्रान्तों में काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए, न्याय को सस्ता और सुलभ बनाने के लिए लोग बराबर मांग करते रहते हैं। मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट जबलपुर में है। लोग चाहते थे कि रायपुर में एक बेंच बने, लेकिन छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने की वजह से अब यह बिलासपुर में बन जायेगी। तमिलनाडू में हाईकोर्ट चेन्नई में है, वहां भी बराबर मांग थी। वहां अब मदुरै में बिल्डिंग बन गई है और हाईकोर्ट की बेंच बनने वाली है। â€¦(व्यवधान) मैं आधे मिनट में खत्म कर रहा हूं। यह अत्यधिक गम्भीर मामला है।

सभापति महोदय : आप क्या चाहते हैं?

श्री रामजीलाल सुमन : यह सबसे महत्वपूर्ण मामला है। 26 तारीख से मेरठ और आगरा में वहां के वकीलों ने काम करना बन्द कर दिया है।â€¦(व्यवधान) मि. भडाना, मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच बन जाये, इससे मुझे कोई शिकायत नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि हर जिले में बन जाये। लेकिन यह जसवन्त सिंह कमीशन की रिपोर्ट है, जिसमें आगरा को बेंच के लिए सबसे उपयुक्त स्थान माना गया है। मेरठ में सरकार बेंच बना दे तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आगरा सबसे उपयुक्त स्थान है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस विवाद को और बढा दिया है। वे मेरठ गये तो वहां कह दिया कि आपके यहां बेंच बननी चाहिए और आगरा गये तो वकीलों से कह दिया कि मेरे मन की बात आप कह रहे हैं। यह बहुत गम्भीर मामला है। 26 तारीख से बराबर मेरठ और आगरा के न्यायालयों का कामकाज ठप्प है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की खण्डपीठ आगरा में स्थापित हो।â€¦(व्यवधान)

सभापति महोदय : सभी को बोलने का मौका मिलेगा।